

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०-पि०व०/छात्रवृत्ति-55-01/2010-

पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द्र पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2014 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को ₹ 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की दर से वृत्ति देने हेतु कुल ₹40,00,00,000/- (रूपये चालीस करोड़) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2014 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा को ₹10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु बजट उपबंधित कुल ₹40,00,00,000/- (रूपये चालीस करोड़) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना माँग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्यय व्ययक शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-277-शिक्षा-0101-शिक्षा के कूट संख्या-3401 छात्रवृत्ति/वजीफा, राज्य योजना स्कीम कोड-BCW-5461 विपत्र कोड-P2225032770101" के अधीन कुल बजट प्रावधान ₹40,00,00,000/- (रूपये चालीस करोड़) मात्र से विकलनीय होगा।

3- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे।

4- यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2014 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता के आधार पर संबंधित छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र/छात्रा जो वर्ष 2014 में मैट्रिक (दसवीं) की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, का जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र के जाँचोपरान्त उचित पहचान कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर एकमुश्त राशि ₹10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र का भुगतान खाता भुगतेय बैंक ड्राफ्ट/चेक/e-Z Pay Card के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी/भुगतान की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7- इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8- स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अन्तर्गत है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अनु०- यथोपरि।

ह०/-
(हुकुम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/छात्रवृत्ति-55-01/2010-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना/सभी उप विकास आयुक्त/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/छात्रवृत्ति-55-01/2010-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/छात्रवृत्ति-55-01/2010-117

पटना, दिनांक-17-10-14

प्रतिलिपि-श्री अजय कुमार शर्मा, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट <http://bcebwelfare.bih.nic.in> पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

17/10/2014

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा वर्ष 2014 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यन्त पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं की जिलावार स्वीकृत राशि की विवरणी:-

प्रमण्डल का नाम	क्र०	जिला का नाम	छात्र/छात्राओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
पटना	1	पटना	2526	21000000
	2	नालंदा	1741	14500000
	3	रोहतास	1272	10150000
	4	भभुआ	477	4000000
	5	भोजपुर	1942	16000000
	6	बक्सर	799	6500000
मगध	7	गया	1866	15100000
	8	जहानाबाद	612	5000000
	9	अरवल	926	7500000
	10	नवादा	2459	19900000
	11	औरंगाबाद	1815	14700000
सारण	12	सारण	1925	15500000
	13	सिवान	1345	10900000
	14	गोपालगंज	1001	8200000
तिरहुत	15	मुजफ्फरपुर	1004	8200000
	16	सीतामढ़ी	814	6600000
	17	शिवहर	220	1800000
	18	प० चम्पारण	975	8000000
	19	पू० चम्पारण	1382	9600000
	20	वैशाली	2265	18300000
दरभंगा	21	दरभंगा	740	6000000
	22	मधुबनी	1403	11400000
	23	समस्तीपुर	1720	13900000
कोशी	24	सहरसा	1076	8800000
	25	सुपौल	922	7500000
	26	मधेपुरा	375	3100000
पूर्णियाँ	27	पूर्णिया	813	8130000
	28	अररिया	720	7200000
	29	किशनगंज	186	1800000
	30	कटिहार	727	6000000
भागलपुर	31	भागलपुर	1545	12500000
	32	बाँका	675	5500000
मुंगेर	33	मुंगेर	1411	11300000
	34	लखीसराय	1762	14120000
	35	शेखपुरा	439	3600000
	36	जमुई	1235	10000000
	37	खगड़िया	2739	22200000
	38	बेगूसराय	3170	25500000
		कुल योग	49024	400000000

कुल राशि (रूपये चालीस करोड़) मात्र

पत्रांक-47 दिनांक-17-10-14 का अनुलग्नक।

सरकार के सचिव
17/10/2014